भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून
Forest Survey of India, Dehra Dun
डा० संख्या / Diary No. 2477
दिनांक / Date 17-06-20

(98)

To,

The Public Information officer
Forest Survey of India
Kaulagarh road
Dehradun-248195

Date 12 June 2020

Subject: Request for information under Right to information Act, 2005

Sir,

Please provide True certified copy of the following:

1. Report prepared by Smt. Neeta Sunil Goswami, against me then President, of Internal Complaints committee for Resolving Sexual harassment Complaints at work place along with witness Report.
2. Copies of entire file dealt with the case with application, orders and note sheets of enquiry officers.
3. Seniority list of Assistant Director(s) of Forest Survey of India.

Name of applicant: Shailendra Kumar Singh, Assistant Director
Address of Applicant: Forest Survey of India, Kualagarh road, Dehradun-248195

I hereby declare that
I am citizen of India
I am above poverty line.

12/6/20
Signature of Applicant

15/6

Encl: IPO of Rs 10/- No.51F 644364 as fees.

15/6/20
Sh. Amal

162

RTI Matter

By Hand

संख्या: 13-4/2020-प्रशासन- 6497

भारत सरकार

भारतीय वन सर्वेक्षण

कौलागढ़ मार्ग, देहरादून ।

दिनांक 3 जुलाई, 2020

सेवा में,

Sh. S.K. Singh,
Assistant Director,
Forest Survey of India,
Dehradun, Uttarakhand-248195

Sub:- RTI Application of Sh. S.K. Singh under RTI Act-2005.

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 12.06.2020 के संदर्भ में आपको यह सूचित करना है कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना संलग्न की जा रही है ।

भवदीय,

(कमल पाण्डेय)
लोक सूचना अधिकारी

संलग्नः- उपरोक्तानुसार (P-102-158)

प्रेषित
3/7/2020

(1)

सुश्री सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक ने सूचित किया है कि 22वीं अखिल भारतीय खेल–कूद प्रतियोगिता के संबंध में वे श्री एस0के0 सिंह, व0त0स0 से मिलने के लिए एन0एफ0डी0एम0सी0 लैब गयी थी। इस संबंध में यह सूचित किया है कि वार्तालाप के दौरान श्री एस0के0 सिंह ने सभी उपस्थित लोगों के समक्ष सुशीला त्रिपाठी के साथ अशिष्टता, अभद्र एंव ऊंची आवाज में बात कर उनका अपमान किया तथा बिना बात के उन पर चिल्लाये। जिससे सुश्री सुशीला त्रिपाठी को अत्यधिक दुख हुआ तथा ठेस पहुंची।

A

उपरोक्त के संबंध में यह सूचित करना है कि सरकारी कार्यालय में महिलाओं का शाररिक उत्पीड़न दिशानिर्देश एंव परिवाद व्यवस्था के पुर्नगठन के अनुसार इस कार्यालय में निम्नलिखित कर्मचारियों की एक समिति गठित की गई है।

1. श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, व0त0स0 – अध्यक्ष
2. श्रीमती रविन्द्र कौर, व0 निजी सचिव – सदस्य
3. कु0 गीता, क0 हिन्दी अनुवादक – सदस्य
4. श्री रमेश चन्द, अधीक्षक – सदस्य
5. श्री राजेश कुमार, अ0श्रे0लि0 – सदस्य

उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य समय के दौरान किसी भी शाररिक उत्पीड़न के मामले को कोई भी महिला घटना घटित होने की तिथि के तीन माह के अन्दर एंव यदि घटनाबद्ध रूप से घटित हुई है तो इस कम में अंतिम घटना की तिथि से तीन माह अन्दर सीधे परिवाद समिति के समक्ष निसंकोच एंव बिना किसी भय के ला सकती हैं। शिकायत दर्ज करने हेतु परिवाद समिति पीड़ित महिला कर्मचारी को यथोचित सहायता प्रदान करेगी, एंव शिकायत प्राप्ति पर परिवाद समिति द्वारा मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अ

यदि अनुमोदित हो तो उपरोक्त मामला समिति के विचार के लिये प्रेषित किया जा सकता है।

सूचनार्थ एंव आदेश हेतु प्रस्तुत है।

[signature] 13/1

वरि॰ उप॰ निदे॰ (का॰ एवं प्र॰)

उपरोक्त टिप्पणी का अवलोकन करना चाहें। वर्णित परिस्थितियों के क्रम में प्रकरण समिति को प्रस्तुत किया जा सकता है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है कृपया।

[signature] 13/1

महानिदेशक

चर्चा

JD(TFI) may comment on 'अ' above please.

JD(TFI)

[signature] 18/1/16

In compliance with the order of DG(FSI) prepage, I summoned Shri S.K. Singh, STA and Smt. Sushila Tripathi, PS separately to my chamber on 19.1.2016. Subsequently I called them together. Shri S.K. Singh regretted the incident and tendered an apology to Smt. Tripathi orally. Smt. Tripathi informed me that she did not intend to press the matter in view of the apology.

The following course of action is suggested:

1. Sr DD(P&A) may summon Shri Singh and Smt. Tripathi to confirm what was orally stated before me.
2. Shri Singh may tender an apology in writing for the inappropriate language used by him with Smt. Tripathi.
3. Smt. Tripathi may convey in writing she is withdrawing the complaint dated 5.1.16.
4. Sr DD(P&A) may record his conclusions.

'A'

Sd/-
19.1.2016

Director General

Pl. spk.
Sd/-
20/1/16

Sr. DDG (P&A)

(3)

प्रालेख

टीपें और आज्ञायें

Ref: Notes of JD (TFI) at page – 2/n

Discussed with Director General, FSI. The undersigned spoke to Shri S.K. Singh, STA and Smt. Sushila Tripathi, Project Scientist separately about the matter. The following points came out in discussions:

- Shri S.K. Singh informed that he only regretted the incident and did not tender any apology to Smt. Tripathi. He also said that it was Smt. Tripathi who tendered the apology. Shri S.K. Singh said that he will not give any written apology in the matter.

Smt. Tripathi said that she did apologize to Shri S.K.Singh because he mentioned that he had to carry three sets of mementors/-tshirts from Bangalore to Dehradun out of which one belonged to her. She also told that Shri S.K. Singh had said that if you are apologising, then I also apologise. She mentioned that the incident in NFDMC lab has nothing to do with the apology tendered by her to Shri Singh and he should have apologized to her for the same.

In view of these, it is seen that the statements given by Shri S.K. Singh before JD (TFI) earlier and the undersigned later on do not match.

- JD (TFI) is therefore requested to kindly submit the file to DG, FSI with his comments.

19/2

(Sushant Sharma)
Sr. DD (P&A)

Joint Director (TFI)

In view of the inconsistency of statements, I propose the matter may be reffered to Committee as mentioned at 'A' page 1.

Director General

29/2

(6)

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

महानिदेशक महोदय से चर्चा की। उक्त प्रकरण समिति को संदर्भित करने के निर्देश दिए गये हैं।

14/3

उपरोक्त के संबंध में यह सूचित करना है कि सरकारी कार्यालय में महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न दिशानिर्देश एंव परिवाद व्यवस्था के पुर्नगठन के अनुसार इस कार्यालय में निम्नलिखित कर्मचारियों की एक समिति गठित की गई थी।

1. श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, व०त०स० – अध्यक्ष
2. श्रीमती रविन्द्र कौर, व० निजी सचिव – सदस्य
3. कु० गीता, क० हिन्दी अनुवादक – सदस्य
4. श्री रमेश चन्द, अधीक्षक – सदस्य
5. श्री राजेश कुमार, अ०श्रे०लि० – सदस्य

'क' श्री राजेश कुमार, अ०श्रे०लि० के अन्यत्र भारतीय रेलवे संस्थान में चयन हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी को उक्त समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाना है। अतः यदि अनुमोदित हो तो उनके स्थान पर प्रशासन अनुभाग में कार्यरत श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक को उक्त समिति का सदस्य नामित कर दिया जाए तथा उक्त प्रकरण नवगठित समिति को विचार हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए।

प्रारूप अनुमोदन एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है

11/3
Sr. AD (P&A)

श्री अमित कुमार, LDC को नामित किया जा सकता है जिसका अनुमोदन महानिदेशक महोदय के राजकीय दौरे से लौटने पर ले लिया जाये।

अनु० (प्र०)
15/3

14/3

(5)

प्रालेख

टीपें और आज्ञायें

पृष्ठ-4/न पर 'क' अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

17/3

महानिदेशक

17/3/16

Sr DD (P&A)

17/3

अधी/(प्र.)

प्रारूप अनुमोदन एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

18/3

वरि. उप. निदे. (प्रशा. एवं लेखा)

18/3

अधी० (प्रशा)

विभाग

पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

विoपत्र–8–28

इस कार्यालय के पत्र संख्या 7–17/2013–प्रशासन 2588 दिनांक 21 मार्च 2016 (पृष्ठ–03) के संदर्भ में श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, अध्यक्षा (कार्यास्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति) नें अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2016 के द्वारा 20 पृष्ठों का जाँच रिर्पोट प्रस्तुत किया है जिसका विस्तृत अवलोकन पृष्ठ 9–28 पर किया जा सकता है ।

उक्त के संदर्भ में यह कहना है कि श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी ने अपने 20 पृष्ठों का जाँच रिर्पोट के निष्कर्ष में यह कहा है कि, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक(संविदा) द्वारा उचित कार्यालय प्रक्रिया का पालन न किये जाने एंव कार्यालय मर्यादा की अनभिज्ञता के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई । 'x' [प्रकरण की जाँच करने पर यह पाया गया कि दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे को अपमानित नहीं करना चाहता था ।]

सम्पूर्ण जाँच के निष्कर्ष में श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी ने यह कहा है कि उक्त मामला महिला उत्पीडन से संबंधित नहीं है ।

आदेशार्थ एंव सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

अधीक्षक 18/5
(रमेश ...)
Supdt.

(Amit) 18/5/16

वरि० उप निदे० (का० एवं प्र)

Ref: notes at pages - 1 to 5/n and above & the report of the committee from pages 8 to 13/c.

In view of 'x' above, we may request the committee to call both the officials together and submit a written joint statement wherein they should mention that whatever happend was [illegible] and the matter should be closed.

[illegible] for [illegible].

Sr. AD (P&A),

Inquiry appears to be incomplete. May do the needful as discussed.

विभाग

संख्या

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

Discussed with DG, FSI. The committee may be requested to record the statements of witnesses present there.

12/5

Suptt. (Adm)

Chairman, of the Committee may kindly see and suggest further action please.

12/5

Smt. Neeta Sunil Goswamy, ST+ chairman (SHOWP) Committee

A meeting will be held on 13.5.16

13.5.16

Shree Ramesh chander ji
Suptt (Adm)
12/5

- 08/N -

प्रालेख

टीपें और आज्ञायें

वि0पत्र–50–55

नोटशीट पृष्ठ संख्या 7 पर वरिष्ठ उपनिदेशक (का0एंवप्र0) के द्वारा दिये गये निर्देश के संदर्भ में श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, अध्यक्षा (कार्यास्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति) नें अपने पत्र दिनांक 31 मई 2016 के द्वारा उक्त संदर्भ में गवाहों के बयानों सें संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । जिसका विस्तृत अवलोकन पृष्ठ 50–55 पर किया जा सकता है ।

उक्त के संदर्भ में यह कहना है कि श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी ने अपने 05 पृष्ठों का गवाहों के विवरण के निष्कर्ष में यह कहा है कि, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक(संविदा) के द्वारा की गई शिकायत के संदर्भ में घटना के समय, घटना स्थल पर उपस्थित गवाहों (श्रीमती सविता सेमवाल, व.त.स. श्रीमती प्रीति तोपवाल क.त.स. एंव श्री चन्द्र मोहन बिष्ट, टी.ए.) से घटना की जानकारी ली गई ।(पृष्ठ–53–55) उन्होंनें कहा है कि गवाहों के बयान परस्पर समान थे तथा किसी के बयान में किसी भी प्रकार का विरोधाभास या पक्षपात का आभास नहीं हुआ ।

'X' उन्होनें यह भी सूचित किया है कि, उक्त बयानों के आधार पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे को अपमानित नहीं करना चहता था । यह अकस्मात घटित घटना है ।

सम्पूर्ण जाँच के निष्कर्ष में श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी ने यह कहा है कि, समिति का यह मानना है कि यह मामला महिला उत्पीड़न से संबंधित नहीं है ।

आदेशार्थ एंव सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

Dnt 1/6/16

अधीक्षक [signature] 1/6

वरि॰ उप निदे॰ (का॰ एवं प्र॰)

Ref: notes at page 6/n and above. It is submitted that the statements of the witnesses have been recorded and are placed in the file.

In view of 'X' above, submitted for orders please.

[signature]
Sushant Sharma
Sr DD (P&A)

~~Director General~~

Pl. put up as discussed.

Sr. DD(P&A):

[signature] 02/06/16.

Sr. DD(P&A) :

(9)

पत्रलेख

टीपें और आज्ञायें

'अ'

प्रकरण में समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है यह प्रकरण यौन उत्पीड़न का नहीं है। समिति का निष्कर्ष है कि दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे को अपमानित नहीं करना चाहता था। रिपोर्ट में यह तथ्य भी है कि श्री सिंह ने श्रीमति त्रिपाठी से ऊँची आवाज में बात की थी।

समिति की रिपोर्ट से सहमति व्यक्त की जाती है।

अतः आदेशार्थ प्रस्तुत है कृ०।

वरि० उप निदेशक (का०प्र०)
2/6

~~महानिदेशक~~ 'अ' से सहमत। Shri. Singh को caution किया जाय।

02/06/16.

~~व. उप.नि~~ कृ० आदेश प्रस्तुत करें।

3/6

अधी० (प्र०)

Discussed with Mrs. Bisht, DFA

[illegible] as discussed.

[illegible] / [illegible] (Admn. [illegible])

[illegible] 4/6

विभाग

पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

अभिलेख सं.

नोटशीट के पृष्ठ 9 पर दी गई टिप्पणी के संदर्भ में प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है

09/6/2016
(प्रशासनिक सलाहकार)

वरिष्ठ उप निदेशक (का. एवं प्र.)

श्रीमति बिष्ट (प्र.स.)

9/6

स्वच्छ प्रति हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है

09/6/2016
(प्र.स.)

वरिष्ठ उप निदेशक (का. एवं प्र.)

महानिदेशक

9/6
सुशांत शर्मा
वरि० उप निदेशक (का०प्र०)

Sr. DD (P&A) ! [illegible]

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

Pr. put up as discussed.

15/6

Smt. B[illegible] [illegible]

Fair letter (in Hindi) is submitted for approval and signature please.

15/6/2016
(Adm. Cons.)

Sr. Dy. Director (P&A)

For kind approval.

15/6
Sushant Sharma
Sr DD (P&A)

महानिदेशक

17/06/16

उ. उप नि (प्रशा)

17/6

Smt Bakhl AC

17/6/16

(1) (12)

सेवा में,

महा निदेशक महोदय,
भारतीय वन सर्वेक्षण
देहरादून।

J. Tripathi
05/01/2016
~~05/09/2016~~

Through Proper Channel

विषय – कार्यालय में अभद्र व असभ्य व्यवहार हेतु।

महोदय,

आपके संज्ञान में लाना है कि कार्यालय के FI Intercom में मुझे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि, 22वीं AIFSM के संदर्भ में श्री S.K सिंह (व० त० स०, NFDMC) से मिलने NFDMC Lab. गई। वार्तालाप के दौरान उन्होंने सभी उपस्थित लोगों के समक्ष मुझसे अशिष्टता, अभद्र एवं ऊँची आवाज में बात कर मेरा अपमान किया। बिना बात के मुझ पर चिल्लाये। उनके इस तरह के व्यवहार से मुझे अत्याधिक दुख व ठेस पहुँची है।

यह आपकी आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

DD (TFI) 5.1.16

Sr. DD (P&A)

धन्यवाद।

Sr DD (FI) 5/1/16

JD (TFI) 5.1.16.

5/1/16

J. Tripathi
05/01/16
(सुशीला त्रिपाठी)
परियोजना वैज्ञानिक

DG FSI

प्रतिलिपि - श्रीमती नीता गोस्वामी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Confidential

संख्या 7-17/2013-प्रशासन 2588
भारत सरकार,
भारतीय वन सर्वेक्षण,
पो0ओ0-आई0पी0ई0, कौलागढ़ रोड,
देहरादून - 248 195

दिनांक 21 मार्च ,2016

इस कार्यालय में कार्यरत सुश्री सुशीला त्रिपाठी परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) के द्वारा की गयी शिकायत के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये है कि प्रकरण की जाँच **आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति** द्वारा की जाये । अतः इस संबंध में शिकायत तथा अन्य अभिलेखों की छायाप्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि प्रकरण में समिति द्वारा नियमानुसार उचित कार्यवाही करके, की गयी कार्यवाही की सूचना देने की कृपा करें ।

(सुशांत शर्मा)
वरि0 उप निदेशक (का0एवं प्रशा0)

श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी,
वरि0 तक0 सहा0 एवं अध्यक्ष

21.03.2016

संख्या 7-17/2013-प्रशासन 2592
भारत सरकार,
भारतीय वन सर्वेक्षण,
पो0ओ0-आई0पी0ई0, कौलागढ़ रोड,
देहरादून - 248 195

दिनांक 21 मार्च ,2016

कार्यालय आदेश

कार्य स्थल पर महिलाओं के शारीरिक उत्पीड़न(Sexual Harrasement) से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु परिवाद समिति के गठन में जारी किये गये दिनांक 30.09.2014 के पत्र क्रमांक 7-17/2013-प्रशासन-11498 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित अनुसार उक्त समिति की पुनर्गठन किया जाता है :-

क्र0सं0	**अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद**		**फोन/ मोबाइल नं0**
1.	श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, वरि0 तक0 सहा0	अध्यक्ष	9639897298
2.	श्रीमती रविन्द्र कौर, वरि0 निजी सचिव	सदस्य	7895420030
3.	कुमारी गीता, कनि0 हिन्दी अनुवादक	सदस्य	9457024297
4.	श्री रमेश चन्द, सहायक	सदस्य	9634749785
5.	श्री अमित कुमार, अ0श्रे0लि0	सदस्य	7579283106

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(सुशांत शर्मा)
वरि0 उप निदेशक (का0एवं प्रशा0)

प्रतिलिपि समिति के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ ।

21.03.2016

संख्या–7–17/2013–प्रषासन 2609
भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पो0ऑ0–आई0पी0ई0, कौलागढ़ मार्ग

दिनांक 22 मार्च, 2016

परिपत्र

सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के शारीरिक उत्पीडन (Sexual Harassment) के संबंध में गठित की गई समिति के निम्नलिखित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उक्त समिति की बैठक दिनांक 28.03.2016 को समिति कक्ष में अपराहन 3:30 बजे आयोजित की जानी है ।

अतः समस्त समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे ससमय उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें ।

(क)	श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, व0त0स0	–	अध्यक्ष
(ख)	श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	–	सदस्य
(ग)	श्री रमेश चन्द, अधीक्षक	–	सदस्य
(घ)	कुमारी गीता, क0 हिन्दी अनुवादक	–	सदस्य
(ड़)	श्री अमित कुमार, अ0श्रे0लि0	–	सदस्य

प्रतलिपिः– समिति के समस्त सदस्य, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून ।

नीता 22.3.16
(नीता सुनील गोस्वामी)
वरिष्ठ तकनीकी सहायक/अध्यक्ष

संख्या 7-17/2013-प्रशासन 2749

भारत सरकार,

भारतीय वन सर्वेक्षण,

पो0ओ0-आई0पी0ई0, कौलागढ़ रोड,

देहरादून - 248 195

दिनांक 29 मार्च ,2016

आपके शिकायत पत्र दिनांक 05.01.2016 संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि, **आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति** नें यह फैसला किया है कि, आपके द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्ध की गई शिकायत के संदर्भ में आप से पूछ–ताछ की जानी है । अतः आपको दिनांक 30.मार्च 2016 को अपराहन 3.30 बजे भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कार्यालय देहरादून के समिति कक्ष में **यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति के समक्ष उपस्थित रहना अनिवार्य है।**

अतः आपसे से अनुरोध है कि आप ससमय उक्त समिति के समक्ष उपस्थित रहे ताकि समिति आपके पक्ष की पूर्ण जानकारी ले सके ।

ध्यन्वाद ।

नीता

(नीता सुनील गोस्वमी)

अध्यक्ष

यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक

भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून ।

29.03.2016

संख्या 7-17/2013-प्रशासन 349

भारत सरकार

भारतीय वन सर्वेक्षण

पो.ओ.-आई.पी.ई., कौलागढ़

देहरादून-240195

दिनांकः 25 अप्रैल, 2016

सेवा में,

वरिष्ठ उप निदेशक (का.एवं प्रशा.)
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ रोड़
देहरादून

विषयः- श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) के मामले पर 'आंतरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति' की रिपोर्ट के संबंध में।

संदर्भः- आपका पत्र सं. 7-17/2013-प्रशासन-2588, दिनांक 21 मार्च, 2016।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, समिति ने मामले की निष्पक्ष रुप से जाँच की एवं जाँच की 20 पृष्ठों रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(नीता सुनील गोस्वामी)
वरिष्ठ तकनीकी सहायक/अध्यक्षा

'आंतरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति' की रिपोर्ट

पत्र सं. 7-17/2013- प्रशासन-2588, दिनांक 21 मार्च, 2016 के अनुसरण में, दिनांक 22 मार्च, 2016 को समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस कार्यालय में कार्यरत श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) द्वारा की गई शिकायत पर अग्रिम कार्यवाही एवं प्रकरण की जाँच करने हेतु विचार-विमर्श किया गया। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के विषय में दोनों पक्षों से अलग- अलग वार्तालाप की जाएं एवं मामले की जानकारी ली जाए (बैठक का कार्यवत्तृ संलग्न)।

समिति ने श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) से दिनांक 30.03.2016 को अपराह्न 03.30 बजे वार्ता की गई (वार्तालाप का ब्यौरा संलग्न)। चूँकि श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, इस दौरान आवकाश पर थे इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि उनके अवकाश से लौटने के पश्चात, उनसे वार्ता की जाएगी। इस क्रम में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को वार्ता हेतु बुलाया गया किन्तु दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को उनका अभ्यावेदन समिति को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने स्वयं की मामले से अनभिज्ञता जताई और 12 अप्रैल, 2016 के स्थान पर, दिनांक 14 अप्रैल, 2016 को समिति के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया था।

पूर्व निर्धारित समय तिथि को (12.04.2016) को समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 18 अप्रैल, 2016 को समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक से वार्ता की जाएगी।

दिनांक 18 अप्रैल, 2016 को समिति ने श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक से वार्ता की जिसका ब्यौरा संलग्न है।

दोनों पक्षों से बात-चीत करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) द्वारा उचित कार्यालय प्रक्रिया का पालन न किए जाने एवं ऑफिस डेकोरम की अनभिज्ञता के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हई। श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक जिनके पास टीम मैनेजर का चार्ज था, कि बिना अनुमति के खेल-कूद प्रतियोगिता के समापन से पूर्व बैंगलौर से प्रस्थान करना और मुख्यालय आकर पूछना कि मेरी टी-शर्ट और स्मृति चिह्न कहाँ है? श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को आदेशात्मक एवं अनुचित लगा। जिसके उत्तर में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक ने कहा कि आपकी टी-शर्ट और स्मृति चिह्न लाना मेरी ड्यूटी है क्या?

एनएफडीएमसी लैब में उपस्थित सभी कार्मिकों के समक्ष श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा कहे गए उपरोक्त वाक्य को श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) ने स्वयं का अपमान समझा। **जबकि प्रकरण की जाँच करने पर पाया गया कि दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे को अपमानित नहीं करना चाहता था।**

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदया ने श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) से समिति की महिला सदस्यों के समक्ष यह जाने का भी प्रयास किया कि श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा इनके लिए किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा या शब्द का प्रयोग किया गया जिसे वे संकोचवश पुरुष सदस्यों के समक्ष न कह पाई हो तो हमें निसंकोच बता सकती हैं। जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था। जबकि श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) के दिनांक 05 जनवरी, 2016 के अनुसार उन्होंने अपने आवेदन में अभद्र भाषा का जिक्र किया है जोकि विरोधाभास उत्पन्न करता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति ने पाया कि यह मामला महिला उत्पीड़न से संबंधित नहीं है।

श्रीमती नीता गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं अध्यक्ष नीता 25.4.16

श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक एवं सदस्य

श्री रमेश चंद, अधीक्षक एवं सदस्य

कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवाद एवं सदस्य गीता 25/4/16

श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक एवं सदस्य

दिनांक 18.04.2016 को आयोजित समिति की बैठक में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक से वार्ता की गई जिसका विवरण निम्नलिखत हैः-

अध्यक्ष महोदया	श्रीमती सुशीला त्रिपाठी द्वारा आपके खिलाफ एक लिखित शिकायत महानिदेशक महोदय के संबोधित कर की गई है, क्या यह आपके संज्ञान में है?
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	जी नहीं।
अध्यक्ष महोदया	क्या आपने श्रीमती सुशीला त्रिपाठी को दिनांक 01.01.2016 को 10.30-11.00 के बीच, लैब में बुलाया था? यदि हाँ, तो क्यों?
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था।
अध्यक्ष महोदया	क्या श्रीमती सुशीला त्रिपाठी दिनांक 01.01.2016 को स्वयं आपसे मिलने आई थी?
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	जी हाँ।
अध्यक्ष महोदया	क्या वो अकेली आई थी? यदि नहीं, तो उन के साथ कौन था?
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	वो अकेली आई थीं। लेकिन इस समय लैब में और लोग भी मौजूद थे।
अध्यक्ष महोदया	वार्तालाप का विषय क्या था और आप के बीच में क्या बातें हुई?
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) द्वारा बिना मेरी अनुमति के खेल-कूद प्रतियोगिता के समापन से पूर्व बैंगलौर से प्रस्थान करना और मुख्यालय आ कर पुछना कि मेरी टी-शर्ट और स्मृति चिह्न कहाँ है? मुझे आदेशात्मक एवं अनुचित लगा। मैंने उनसे कहा "तुम्हारी स्मृति चिह्न और टी-शर्ट लाना मेरी ड्यूटी है क्या? "
अध्यक्ष महोदया	श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने उन से अभद्र एवं ऊँची आवाज में बात की इस विषय पर आपको क्या कहना है?
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	नहीं, मैंने उनके साथ कोई अभद्रता नहीं की। जिस तरह से मैं आप से बात कर रहा हूँ ठीक इसी स्वर में मैंने उनसे बात की थी?
अध्यक्ष महोदया	क्या आपने वार्तालाप के दौरान अभद्र एवं अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया? हाँ/नहीं
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	जी नहीं, मैंने अभद्र एवं अशिष्ट भाषा का प्रयोग बिलकुल भी नहीं किया।

अध्यक्ष महोदया
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह

आपके इस वार्तालाप का कोई साक्षी है तो कृपया उनका नाम प्रस्तुत करें। जिन कर्मचारियों की सीट वहां है वे लगभग सभी लोग वहां उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदया

जब आपके संज्ञान में आया कि श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ने आपके विरुद्ध लिखित शिकायत की है तब आपने क्या किया?

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह

इस विषय पर मुझे लिखित रूप में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न तो मैंने देखा है और न ही स्वयं पढ़ा है।

समिति के उपस्थित सदस्य के हस्ताक्षर-
श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
श्री रमेश चंद, अधीक्षक
कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक
श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य

01/04/2026
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
वरिष्ठ तकनीकी सहायक

दिनांक 18.04.2016 को अपराह्न 03.30 बजे आयोजित **'आंतरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति'** की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

श्रीमती नीता गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	:	अध्यक्ष
श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	:	सदस्य
श्री रमेश चंद, अधीक्षक	:	सदस्य
कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	:	सदस्य
श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	:	सदस्य
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, व.त.स.		

(14) (23) -6-

सेवा में,

श्रीमती मीना सुनील गोस्वामी
अध्यक्षा
आंतरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति -
भारतीय वन्य संस्थान
कौलागढ़ मार्ग
देहरादून

महोदया,

मैंने आपने पत्र दिनांक 12/04/2016 के माध्यम से आपने विरुद्ध सुश्री सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) द्वारा शिकायत के पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने की मांग की थी। परन्तु आपके पत्र संख्या 7-17/2013-प्रशासन 287 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 द्वारा मुझे यह सूचित किया गया है कि समिति के समक्ष ही मुझे श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) की शिकायत से अवगत कराया जाएगा। आपसे यह अनुरोध है कि कृपया मुझे यह जानकारी ~~अवगत~~ उपलब्ध कराने की कृपा करें कि समिति ने किस नियम के अन्तर्गत, शिकायत पत्र की प्रति उपलब्ध करने में असमर्थता जताई है, एवं उस नियम की एक प्रति मुझे प्रदान करने की कृपा करें। यह जानकारी मुझे दिनांक 18.04.2016 से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पहले उपलब्ध कराएं, तो अति कृपा होगी।

अति सम्मान के साथ।

दिनांक 13/04/2016

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
व० त०अ०-

दिनांक 12.04.2016 को अपराह्न 03.00 बजे आयोजित **'आंतरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति'** की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

श्रीमती नीता गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	:	अध्यक्ष	नीता
श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	:	सदस्य	रविन्द्र कौर
श्री रमेश चंद, अधीक्षक	:	सदस्य	
कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	:	सदस्य	गीता
श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	:	सदस्य	

(16) -8- (87)

सेवा में,

श्रीमती सुनीता गोस्वामी
अध्यक्ष
आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ मार्ग
देहरादून

महोदया,

आपके पत्रांक संख्या 7-17/2013-प्रशासन 256 दिनांक 07 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में आप से अनुरोध है कि मेरे विरुद्ध सुश्री सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) द्वारा शिकायत का पत्र की एक प्रति मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मैं शिकायत की विषय-वस्तु से अवगत हो सकूं। इस पत्र की प्राप्ति से मुझे आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने में सहायक होगा। आप से यह भी अनुरोध है कि मुझे समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए दिनांक 14 अप्रैल 2016 का समय निश्चित जाए।

अति सम्मान एवं सहयोग के भावना के साथ।

दिनांक - 12/04/2016.

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
व० त०स०-

(17)

20

संख्या 7-17/2013-प्रशासन 256
भारत सरकार,
भारतीय वन सर्वेक्षण,
पो0ओ0-आई0पी0ई0, कौलागढ़ रोड,
देहरादून - 248 195

दिनांक 07 अप्रैल ,2016

इस कार्यालय में कार्यरत सुश्री सुशीला त्रिपाठी परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) के द्वारा आपके विरूद्ध की गयी शिकायत के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये है कि प्रकरण की जाँच **आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति** द्वारा की जाये । अतः समिति नें यह फैसला किया है कि, उक्त मामले में आप से पूछ–ताछ की जानी है । अतः आपको दिनांक 12 अप्रैल 2016 को अपराहन 3.30 बजे भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कार्यालय देहरादून के समिति कक्ष में **उक्त समिति के समक्ष उपस्थित रहना अनिवार्य है ।**

अतः आपसे से अनुरोध है कि आप ससमय उक्त समिति के समक्ष उपस्थित रहे ताकि समिति आपके पक्ष की पूर्ण जानकारी ले सके ।

धन्यवाद ।

नीता
(नीता सुनील गोस्वामी)
अध्यक्ष
आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून ।

07.04.2016

दिनांक 30.03.2016 को अपराह्न 03.30 बजे आयोजित **'आंतरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति'** की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

श्रीमती नीता गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	:	अध्यक्ष	नीता
श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	:	सदस्य	
श्री रमेश चंद, अधीक्षक	:	सदस्य	
कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	:	सदस्य	गीता
श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	:	सदस्य	
श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक	:	प्रार्थी	S. Tripathi

दिनांक 30.03.2016 को आयोजित समिति की बैठक में श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक से वार्ता की गई जिसका विवरण निम्नलिखत है:-

अध्यक्ष महोदया : सूचना किससे प्राप्त हुई? माध्यम क्या था? और कौन था?

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी: श्री -त्रिपाठी जी को फोन पर संदेश प्राप्त हुआ था और उन्होंने ही मुझे इस संदर्भ में सूचित किया था तथा उस वक्त श्री बलबीर जी भी वहां मौजूद थे।

अध्यक्ष महोदया : आप श्री एस. के. सिंह से ही क्यों मिलने गई थी?

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी: मैं गेम्स मीट में मिले स्मृति चिह्न एवं किट लेने के लिए तथा नव वर्ष के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देने हेतु श्री एस.के. सिंह जी से मिलने गई थी।

अध्यक्ष महोदयां : वार्तालाप का विषय क्या था?

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी: सबसे पहले मैंने सामान के विषय में पूछा कि क्या गेम्स से संबंधित किट आपके पास पार्सल है?

अध्यक्ष महोदया : श्री एस. के सिंह का क्या उत्तर था?

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी: श्री एस.के सिंह जी ने उत्तर में मुझसे पूछा कि आपसे किसने कहा कि मेरे पास सामान है? मैंने कहा, "श्री बलबीर जी ने।" तब वो बोले बलबीर को मेरे पास भेजो और फिर वो कुछ पेपर उठाकर वहां से चले गए।

अध्यक्ष महोदया : आप अकेली गई थी? यदि नहीं तो साथ में कौन था?

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी: मैं कु. प्रीति तोपवाल के साथ गई थी।

अध्यक्ष महोदया : जब आप लैब मैं गई थी उस समय और तिथि से अवगत कराएं?

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी: 1 जनवरी, 2016 को 10.30 से 11.00 के बीच मैं लैब में गई थी।

अध्यक्ष महोदया : जब आप लैब में पहुँची तो श्री एस. के. सिंह अपने स्थान पर मौजूद थे? या आपके पहुँचने के बाद आए?

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी: जब मैं वहां पहुँची तो वे अपनी सीट पर मौजूद थे?

अध्यक्ष महोदया : श्री एस. के सिंह ने आपसे क्या अभद्रता की?

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी: मैं वहां श्रीमती सविता सेमवाल जी को उनके पद प्राप्त करने पर व नव वर्ष के लिए शुभकामनाएं दे रही थी कि तभी दो मिनट के पश्चात ही श्री एस.के. सिंह वहां वापस लौट कर आए। मैंने उनसे कहा, "मैं चलूँ या बलबीर जी को भेजूँ।" तब उन्होंने कहा कि आप मुझसे बदतमीजी से बात

कर रहीं हैं। अपने सीनियर से बात करने का आपका ये तरीका है, और इसके बाद वो थोड़ी देर तक बोलते रहे, तथा बाहर निकल कर चले गए।

अध्याक्ष महोदया : आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी?

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और मैं वहाँ से चली गई।

अध्यक्ष महोदया : इस घटना के तुरन्त बाद आपने क्या किया?
(i) आपने अपने आसन्न अधिकारी जिनके नियंत्रण में आप काम करती हैं उनसे मौखिक या लिखित रूप से इसकी शिकायत की?
(ii) आपने श्री एस. के. सिंह के वरिष्ठ अधिकारी, (उप निदेशक या सहायक निदेशक) से मौखिक या लिखित रूप में इसकी शिकायत की?

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी: (i) मैंने चार दिनों के बाद चार तारीख को मौखिक रुप से आसन्न अधिकारी से को इस घटना के विषय में बताया क्योंकि यह घटना शुक्रवार की है इस के बाद दो दिनों का अवकाश था। तथा 5 जनवरी, 2016 को लिखित रुप से महानिदेशक महोदय से शिकायत की।
(ii) नहीं।

अध्यक्ष महोदया : घटना के समय घटना स्थल पर आपके और श्री एस.के. सिंह के अलावा और कौन-कौन मौजूद था जिसने आप दोनों का वार्तालाप स्पष्ट रूप से सुना हो?

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी: श्रीमती सविता सेमवाल और उस वक्त वहां उनके अलावा एक व्यक्ति और मौजूद था जिसको मैं नहीं पहचानती।

--0-

समिति के सदस्य
श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
श्री रमेश चंद, अधीक्षक
कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक
श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

प्रार्थी
श्रीमती सुशीला त्रिपाठी

(21) -13- (30)

गोपनीय / CONFIDENTIAL

संख्या 7-17/2013-प्रशासन 2749
भारत सरकार,
भारतीय वन सर्वेक्षण,
पो0ओ0-आई0पी0ई0, कौलागढ़ रोड,
देहरादून - 248 195

दिनांक 29 मार्च ,2016

आपके शिकायत पत्र दिनांक 05.01.2016 संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि, **आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति** नें यह फैसला किया है कि, आपके द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्ध की गई शिकायत के संदर्भ में आप से पूछ–ताछ की जानी है । अतः आपको दिनांक 30.मार्च 2016 को अपराहन 3.30 बजे भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कार्यालय देहरादून के समिति कक्ष में **यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति के समक्ष उपस्थित रहना अनिवार्य है।**

अतः आपसे से अनुरोध है कि आप ससमय उक्त समिति के समक्ष उपस्थित रहे ताकि समिति आपके पक्ष की पूर्ण जानकारी ले सके ।

ध्यन्वाद ।

नीता
(नीता सुनील गोस्वामी)
अध्यक्ष
यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक
भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून ।

29.03.2016

(22)

(3)

संख्या 7-17/2013 - प्रशासन /754

भारत सरकार

भारतीय वन सर्वेक्षण

कौलागढ़ मार्ग, देहरादून-248195

दिनांक: 29 मार्च, 2016

सेवा में,

वरिष्ठ उप निदेशक (का.एवं प्रशा.)
भारतीय वन सर्वेक्षण
देहरादून

विषयः भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की कार्यस्थल पर महिलाओं के शारीरिक उत्पीड़न के सबंध में गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे भारतीय वन सर्वेक्षण, मुख्यालय देहरादून की 'कार्यस्थल पर महिलाओं के शारीरिक उत्पीड़न के सबंध में गठित समिति' की दिनांक 28 मार्च, 2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीया

नीता

(नीता सुनील गोस्वामी)
वरिष्ठ तकनीकी सहायक/अध्यक्ष

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः समस्त सदस्यों को प्रेषित।

भारतीय वन सर्वेक्षण, मुख्यालय, देहरादून की कार्यस्थल पर महिलाओं के शारीरिक उत्पीड़न के सबंध में गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक	:	28 मार्च, 2016
समय	:	03.30 बजे (अपराह्न)
स्थान	:	समिति कक्ष, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।

भारतीय वन सर्वेक्षण, मुख्यालय, देहरादून की कार्यस्थल पर महिलाओं के शारीरिक उत्पीड़न के सबंध में गठित समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

1.	श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	सदस्य
3.	श्री रमेश चंद, अधीक्षक	सदस्य
4.	कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	सदस्य
5.	श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	सदस्य

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात बैठक की कार्यावाही आरम्भ की गई। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा हुईः-

मद संख्या-1

समिति की कार्यशैली निर्धारित करने पर विचार विमर्श किया गया। निश्चित किया गया की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें समिति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्यालय में समस्त कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में कार्यालय में एक गोष्ठी के आयोजित करने का प्रस्ताव है। बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि विशाखा गाईड लाईनस के दिशानिर्देशों को कार्यालय परिसर में एक निश्चित स्थल पर लगाया जाए, जिससे सभी कार्मिकों इस विषय से स्पष्ट रुप से अवगत रहें ।

मद संख्या-2

वर्तमान बैठक में उठाए गए बिंदुः-

1. समिति के समक्ष श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, की शिकायत पर विचार किया गया।
2. घटना क्रम पर विचार किया गया
3. घटना क्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु यह निश्चित किया गया कि दोनों पक्षों से अलग–लग पूछ-ताछ की जाएं एवं बाद में दोनों पक्षों को एक साथ पूछ-ताछ के लिए बुलाया जाए।
4. अग्रिम पूछ-ताछ हेतु रुप रेखा तैयार की गई।

अंत में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही बैठक का सफलतापूर्वक समापन हुआ।

परिपत्र सं. 7-17/2013-प्रशासन 2609, दिनांक 22 मार्च, 2016, के अनुसरण में दिनांक 28.03.2016 को अपराह्न 03.30 बजे आयोजित बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

श्रीमती नीता गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	:	अध्यक्ष
श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	:	सदस्य
श्री रमेश चंद, अधीक्षक .	:	सदस्य
कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	:	सदस्य
श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	:	सदस्य

(25) Confidential - 17 -

(34)

संख्या 7-17/2013-प्रशासन 2586
भारत सरकार,
भारतीय वन सर्वेक्षण,
पो0ओ0-आई0पी0ई0, कौलागढ़ रोड,
देहरादून - 248 195

दिनांक 21 मार्च ,2016

इस कार्यालय में कार्यरत सुश्री सुशीला त्रिपाठी परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) के द्वारा की गयी शिकायत के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये है कि प्रकरण की जाँच **आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति** द्वारा की जाये । अतः इस संबंध में शिकायत तथा अन्य अभिलेखों की छायाप्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि प्रकरण में समिति द्वारा नियमानुसार उचित कार्यवाही करके, की गयी कार्यवाही की सूचना देने की कृपा करें ।

(सुशांत शर्मा)
वरि0 उप निदेशक (का0एवं प्रशा0)

श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी,
वरि0 तक0 सहा0 एवं अध्यक्ष

(29)

सेवा में,

दिनांक– 19.04.2016

महानिदेशक
भारतीय वन सर्वेक्षण,
देहरादून

उचित माध्यम द्वारा

सादर निवेदन है कि 22वें खेल कूद प्रतियोगिता के दौरान हुए कुछ घटनाओं को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। खेल कूद प्रतियोगिता 19 से 23 दिसम्बर के बीच बैंगलौर में आयोजित हुई। इसमें एक प्रतियोगी सु0 श्री प्रीती तोपवाल, क0त0स0 ने बीच में ही अपनें इवेंट में भाग लिए बिना और बिना टीम प्रबन्धक की अनुमति के खेल कूद छोड़कर वापस आ गई। अन्य प्रतियोगी जो कि टीम प्रबन्धक की अनुमति के बिना खेल कूद प्रतियोगिता के समापन के पहले ही रवाना होने वालों में श्री एच0 के0 त्रिपाठी, डी0पी0ए0, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, पी0एस0, सुश्री0 विकेन्द्र बेदी, टी0ए0, सुश्री0 अनीता, क0त0स0 इत्यादि प्रतियोगी थे।

महोदय इस बीच खेल कूद प्रतियोगिता में ही श्री कमलजीत सिंह, टीम प्रबन्धक वापस आये और मुझे टीम प्रबन्धक का चार्ज दिया। उनके प्रस्थान के पश्चात श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, पी0एस0 ने बिना मेरी अनुमति के बीच में खेल कूद प्रतियोगिता छोड़ कर वापस मुख्यालय आ गई। उनके साथ सुश्री प्रीती तोपवाल, व0त0स0 ने अपना खेल बीच में ही छोड़ कर उनके साथ वापस मुख्यालय आ गई। इन लोगों से प्रेरित हो कर सुश्री0 विकेन्द्र बेदी एवं सुश्री0 अनीता भी खेल कूद समापन के नियत समय से पहले ही बिना टीम प्रबन्धक की अनुमति के प्रस्थान कर गई। संविदा कर्मचारियों एवं अन्य प्रतियोगियों ने खेल समापन से पहले बिना अनुमति के वहां से प्रस्थान की अनुशासनहीनता से में क्षुब्ध हो गया क्योंकि इनकी उपस्थिति समापन समारोह में वांछनीय थी। मेरे मुख्यालय लौटने के पश्चात श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ने मुझसे आकर पूछा कि मेरी स्मृति चिन्ह और टी–शर्ट कहां है। उन्होंने जिस अन्दाज में मुझसे यह पूछा में हतप्रभ रह गया। एक संविदा कर्मचारी वहां खेल कूद प्रतियोगिता में बिना अनुमति के वहां से चले आने का साहस करता है और यहां आकर मुझसे पूछता है कि मेरा टी–शर्ट और स्मृति चिन्ह कहां है यह उसके दुस्साहस की पराकाष्ठा है। मैंने उनसे कहा कि "तुम्हारा टी–शर्ट और स्मृति चिन्ह" लाना मेरी ड्यूटी है क्या? और तुम मेरे पास क्यों आई तुम्हें टीम प्रबन्धक से सम्पर्क करना चाहिए। इसके बाद वे वहां से चली गई। वहां सभी खिलाड़ियों का टी–शर्ट और स्मृति चिन्ह मेरे द्वारा वितरित किया गया। श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, पी0एस0, सुश्री0 प्रीती तोपवाल, क0त0स0 एवं सुश्री0 विकेन्द्र बेदी, टी0ए0 का टी–शर्ट और स्मृति चिन्ह कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। ये तीनों का सामान मेंने कार्यालय में श्री सुशांत शर्मा, उपनिदेशक (का0 एवं प्रशा0) के कमरे में जमा करा दिया।

महोदय कुछ दिनों बाद श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ने मेरी शिकायत की कि मेंने उनसे अभद्र व्यहार किया है और इस बाबत मुझे श्री रंजीत सिंह गिल, संयुक्त निदेशक, टी0 एफ0 आई0 के कक्ष में बुलाया गया और यह बताया गया कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, और इस सम्बन्ध में एक कमेटी का गठन किया गया है और महानिदेशक द्वारा उन्हें इस मामले में नियुक्त किया गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस संदर्भ में मांफी मांग लें तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। मैंने श्री गिल साहब से कहा कि उन्होंने क्या शिकायत की है क्या में उस पत्र को पढ़ सकता हूं। इस बात पर श्री राजेश कुमार, व0 उपनिदेशक ने कहा जो उस वक्त उस कमरे में मौजूद थे कि कहा कि मैं पढ़कर सुना देता हूं। पत्र को सुनने के बाद मैंने कहा कि इस पत्र से सिर्फ यह पता चलता है कि वे आहत हुई हैं परन्तु किस बात से आहत हुई हैं उस वाक्य का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है, मैं आपको उस बात को बतलाना चाहता हूं जिसका इस पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है "क्या तुम्हारा टी–शर्ट और स्मृति चिन्ह लाना मेरी ड्यूटी है" महोदय इस वाक्य में क्या अपमानजनक एवं अशलील शब्द हैं। इस संस्थान में मेरे 24 साल से अधिक के कार्यकाल को देखते हुए एक संविदा कर्मचारी अपने वरिष्ठ से यह पूछे कि मेरा टी–शर्ट और स्मृति चिन्ह कहां है क्या आप लाए, तो मुझे कैसा प्रतीत हुआ होगा। इस पर श्री गिल साहब ने कहा कि मैं इस स्थिति को समझ सकता हूं This is very embarrassing for a senior person और मेंने कहा कि श्रीमती सुशीला

(30) (36)

त्रिपाठी को बुलाया जाए और पूछा जाए कि इस वाक्य में क्या गलत है जिससे वो आहत हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप ने भरी हॉल में सबके सामने मुझे कहा, मुझे बुरा लगा। मैंने कहा कि यह वाक्य मेरी कर्तव्यनिष्ठ बोध से प्रेरित शब्द है और आपने जिस अनुशासनहीनता से वहां से बिना मेरी अनुमति के चली आई, आपको पता है कि आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है और अधीनस्थ सेवा में ऐसे वाक्य अपने अग्रजों से सुनने पड़ते हैं, यह कार्यालय की मर्यादा को बनाये रखने के लिए जरूरी हैं। मैं अपने अनुभाग में अपने अनुज महिला कर्मचारियों को भी कभी–कभी ऊँची आवाज में बोल देता हूं इसमें मेरा अभिप्रायः उनको अपमानित करना नहीं होता है। उन्होंने यह कहा कि बिना अनुमति लिए वहां से आने के लिए में मांफी मांगती हूं, तो मेने भी कहा कि मैं भी खेद प्रकट करता हूं, और इस पर गिल साहब ने श्रीमती सुशीला त्रिपाठी से कहा कि ये ठीक है तो श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ने धीरे से कहा कि ठीक है, यह कहकर श्री गिल साहब ने हमें बिदा किया। परन्तु दिनांक 27.01.2016 को अपराहन में श्री सुशान्त शर्मा, व0 उपनिदेशक, (का0 एवं प्रशा0) ने अपने कक्ष में मुझे बुलाकर कहा कि आप इस संदर्भ में लिखित में मांफीनामा दिजिए तो श्रीमती सुशीला त्रिपाठी अपना लिखित शिकायत पत्र वापस ले लेंगी। श्री गिल साहब के कक्ष में पूछ–ताछ के दौरान लिखित माफीनामें की बात हमारे बीच कहीं नही आयी थी। मेंने कहा कि उन्होंने अपने अनुचित व्यवहार के लिए मांफी मांगी थी और मेंने खेद प्रकट कर दिया था। मांफीनामा देने जैसा इस प्रकरण में कुछ नहीं है मैं इस संदर्भ में अपने आप को महानिदेशक महोदय के आगे प्रस्तुत करना चाहूंगा और अपनी सफाई वहीं दूंगा।

महोदय श्रीमती सुशीला त्रिपाठी का व्यवहार एवं बयान संतुलित नहीं है वे बार–बार तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश कर रही हैं वो अपने लिखित व मौखिक बयान में ताल मेल नहीं बिठा पा रहीं हैं। इससे यह पता चलता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या वे किसी के बहकावे में आकर यह कर रही हैं। "तुम्हारा टी–शर्ट और स्मृति चिन्ह लाना मेरी ड्यूटी है क्या"? इस कथन से कोई मानसिक रूप से विक्षप्त एवं रूग्ण व्यक्ति ही आहत हो सकता है। उन्हें इस संस्थान में 15–16 साल कार्य करते हो गये हैं और वे कार्यालय के तौर तरीकों से वाफिक नहीं हैं या फिर इसका ढोंग कर रही हैं मेरी राय में इनका किसी मनोचिकित्सक से जाँच करा लिया जाए कि इनकी मनोस्थिति कैसी है और किस स्तर की संवेदनशील महिला हैं और इससे यह पता चल जाएगा कि ये सरकारी कार्यालय में काम करने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। इससे अन्य लोगों की परेशानी कम होगी। खेल–कूद प्रतियोगिताओं में संविदा कर्मचारियों की संख्या एक या दो कर दी जाए जो उच्चस्तरीय हों जिससे तरह–तरह की परेशानी से बचा जा सके।

महोदय आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि जब पी0एस0 की नियुक्ति लगभग तय हो गई थी कि इनको रू0 5400/– का वेतनमान दिया जाना तय हुआ था, तो मैं और श्रीमती एकता सिंह, क0त0स0 ही महानिदेशक डॉ0 अनमोल कुमार के कक्ष में कुछ कागजातों के साथ गये थे, और में यह बतलाने में सफल हुआ था कि संविदा कर्मचारी को हम नियमित वेतनमान नहीं दे सकते और उन्होंने इनका नियमित रू0 5400/– का वेतनमान रोककर **consolidated** वेतनमान तय किया था। मुझे तो लगता है कि श्रीमती सुशीला त्रिपाठी का यह आरोप दुर्भावना और प्रतिशोध से प्रेरित है और मेरी छवि को धुमिल करने का यह एक प्रयास है।

महोदय में आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि अभी हाल में ही सम्पन्न वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के दौरान एक अन्य परियोजना वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत श्री शरद गोयल को कार्य निरिक्षण के दौरान मैने ही पकड़ा था कि वह अण्डमान एवं निकोबार और कर्नाटक जैसे राज्यों का निर्वचन और सत्यापन के नाम पर संस्थान एवं राष्ट्र को गुमराह कर रहा था और कोई काम नहीं कर रहा था। उनको बार–बार कहने पर भी उसने कार्य नहीं किया या करने में असमर्थ था इस पर श्री शरद गोयल ने मुझे कहा था कि मेंने जो करना था कर दिया आप को जो करना है आप कर लिजिए। यह बात मैंने फौरन अपने एफ0सी0एम0 अधिकारी श्री कमलजीत सिंह, उपनिदेशक के संज्ञान में लाई थी श्री शरद गोयल के कार्य की जांच मेंने ही तैयार की थी और अण्डमान निकोबार एवं कर्नाटक राज्य के वनावरण और घनत्व में काफी फेर बदल पाई गयी। अण्डमान निकोबार में साकारात्कम 40 वर्ग किमी0 का परिवर्तन पाया गया था। इस संदर्भ में और एक अन्य परियोजना वैज्ञानिक श्रीमती मधू नेगी का भी जिक करना चाहूंगा जिनके पास पूर्व में ही राजस्थान राज्य का वनावरण मानचित्रण आवंटित था और इस चक में

(31) (31)

मेरे द्वारा कड़ाई से पेश आने का नतीजा है कि आज राजस्थान में 85 वर्ग किलोमीटर का बदलाव है। ऐसा प्रतीत होता है सभी परियोजना वैज्ञानिक, (संविदा) मेरे खिलाफ षडयंत्र कर मुझे फसाने की साजिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं पिछले चक्र में उत्तराखण्ड राज्य के वनावरण चित्रण का भी जिक्र करना चाहूंगा, जिसका वर्तमान आई0एस0एफ0आर0 2015 में कुल 268 वर्ग किमी0 का नाकारात्मक परिवर्तन है इसकी की भी जांच रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई थी जिसमें पूर्व में किए गए निर्वचन में काफी त्रुटियां पाई गई थी और पूर्व के काम का निष्पादन श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, व0त0स0 एवं श्रीमती सविता सेमवाल, व0त0स0 द्वारा किया गया था। इस जांच के दौरान श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी मेरे पास आकर फूट–फूट कर रोई थी और कहा था कि आपके जांच करने से मुझे भारी मानसिक तनाव हो रहा है। कल दिनांक 18.04.2016 को अपराहन में मुझे श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी द्वारा आन्तरिक कार्य स्तर पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति के समक्ष बुलाया गया था। इस समिति की श्री नीता सुनील गोस्वामी अध्यक्षा हैं। इस समिति ने मेने अनुरोध करने पर भी सु0श्री0 सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) कि मेरे विरूद्ध लिखित शिकायत पत्र की प्रति नहीं उपलब्ध करायी गई न ही मुझे पढ़ कर सुनाया गया। मेरे समझ में नहीं आता कि "तुम्हारा टी–शर्ट और स्मृति चिन्ह लाना मेरी ड़यूटी है क्या"? इस वाक्य में ऐसा क्या गलत है जो मुझे आन्तरिक कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत होना किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी प्रतिशोध और बदले की भावना से प्रेरित होकर मुझे अपमानित या फंसाने की कोशिश कर रही हैं। महोदय, अगर अधीनस्थ महिला कर्मचारी बिना किसी ठोस वजह के मिथ्या आरोप लगाकर हमें अपमानित करने का काम करेंगी तो संस्थान में नियमित वरिष्ठ कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा और कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि जो संविदा कर्मचारी इस संस्थान में दस साल से अधिक अवधि की सेवा दे चुके है उनकी सेवा को विराम दिया जाए, तो इससे इस व्यस्था में काफी सुधार रहेगा।

अतः में आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं इस प्रकरण में दखल दे कर मेरी सुनवाई करें और मुझे अनावश्यक उत्पीड़न से निजाद दिलायें और कार्यालय का वातवरण नियमित कर्मचारियों के लिए भयमुक्त बनाऐं जिससे हम अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन कर सकें।

न्याय की अपेक्षा के साथ।

भवदीय

शैलेन्द्र कुमार सिंह
व0त0स0
रा0व0आ0प्र0के0

अनुमोदित
19/4/16

(38)

(35)

सेवा में,

महानिदेशक
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ मार्ग
देहरादून

उचित माध्यम द्वारा.

विषय : सहायक निदेशक पद के कार्यभार प्रदान करने के सम्बंध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि उपरोक्त विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मुख्यालय, देहरादून में अभी सहायक निदेशक पद का कार्यभार श्री देवी सिंह, व० त० स० को सौंपा गया है। इससे पूर्व में मुख्यालय में श्री धरम सिंह, व० त० स० एवं श्री शिव कुमार भिड़गटा, व०त०स० उत्तरी अंचल, शिमला को सौंपा गया था। ये दोनों ही व्यक्ति सहायक निदेशक पद की योग्यता नहीं रखते थे और हैं। धर्म सिंह व०त०स० (सेवानिवृत) की पदोन्नति की फाईल संघ लोक सेवा आयोग से एक बार नहीं दो बार लौटाई फिर भी उन्हें सहायक निदेशक का कार्यभार सौं... नाना इस विषय में सभी सरकारी नियमों की ... की गई। इन दोनों विषयों पर मैंने अवहेलना ... अपना प्रतिवेदन आप को सौंपा था परन्तु इस विष... मैं आप से आज तक कोई पत्र नहीं मिला है।

महोदय, मैं आप का ध्यान सहायक निदेशक के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बारे में दिलाना चाहता हूँ कि पुराने भर्ती नियम (RR) के अनुसार सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त होने के लिए विज्ञान विषय से स्नातक ... भर्ती नियम...

लागू नहीं हुए है, अत: इसी स्थिति में सहायक निदेशक का कार्यभार पुरानी भर्ती नियम से ही दिए जाए और पूर्व में दिए गए कार्य-भार को ही किया जाए। यही तर्कसंगत और न्यायसंगत निर्णय होगा और पद की गरिमा भी बनी रहेगी। पूर्व में सहायक निदेशक का कार्य-भार श्री बी० स्वरुप नायक, केन्द्रीय अंचल नागपुर को सौंपा गया था जो कि वरिष्ठ तकनीकी सहायक के वरिष्ठता क्रम में कनिष्ठ है। अगर गौर से देखा जाए तो उपरोक्त सभी व्यक्तियों के कार्य-प्रभार सौंपने में किसी भी नियम का कोई तारतम्य नहीं है और अलग-अलग नियम, तोड़ दिए गए है और नियमों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। यह सरकारी कार्यालय में एक स्वस्थ परम्परा नहीं है, सहायक निदेशक एक राज-पत्रित पद है, इस सम्बन्ध में भर्ती नियमों (RR) की उपेक्षा और अवहेलना की गयी है।

अत: आप जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति से मुझे आशा ही नहीं परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषय पर पुन: विचार करते हुए योग्य एवं पात्र व्यक्ति का चयन करेंगे।

धन्यवाद

भवदीय

(signature) 18/4/201[illegible]

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

[illegible]

(37) (1) (40)

सेवा में,

महानिदेशक
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ मार्ग
देहरादून

उचित माध्यम द्वारा

महोदय,

सादर निवेदन है कि आपने दिनांक 09.05.2016 को अपराह्न अपने कक्ष में बुलाकर, मुझे अवगत कराया कि श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) से सम्बंधित फाइल आयी है। आपने मुझे सुझाव दिया कि मैं लिखित में यह प्रस्तुत करूं कि मैंने जो कुछ कहा कि उसका आशय किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैंने आपसे अनुरोध किया कि आप मेरा भी प्रतिवेदन पढ़कर कोई निर्णय लें, तब आप ने बताया कि मेरा प्रतिवेदन फाइल में नहीं लगा हुआ है। मैंने आपको यह बोला कि उसकी छाया प्रति मेरे पास है और उसे मैं आप को उपलब्ध करा देता हूं, उसे पढ़कर आप निर्णय लें। इस बाबत मैंने प्रशासनिक अनुभाग में पूछा कि मेरा प्रतिवेदन उचित माध्यम से महानिदेशक महोदय को भेजा हुआ है तो श्री रमेश चन्द्र अधीक्षक एवं श्री सुरेश शर्मा, वरिष्ठ उपनिदेशक (का० एवं प्र०) ने कहा कि ऐसा प्रतिवेदन उन्हें मिला ही नहीं है। मैं हतप्रभ हूं कि कार्यालय में इस तरह से मेरा प्रतिवेदन जो कि सम्वेदनशील आरोपों से सम्बंधित है, वो गायब हो जाता है। यह एक अति गम्भीर मसला है। मेरा प्रतिवेदन का गायब होना मेरे खिलाफ षडयंत्र होने की आशंका को पुष्टि करता है।

अग्रेषित
Agrawal
17/5/16

इस षडयंत्र की मुख्य कड़ी श्री रमेश चन्द्र, अधीक्षक ही प्रतीत होते हैं। दर असल, मुझे फंसाने की एक सुनियोजित योजना, बैंगलोर खेल-कूद में भाग लेने से पहले ही तैयार कर ली गई थी। जो घटना का जिक्र मैं आगे करने जा रहा हूं और उन घटनाक्रमों की कड़ियों को आपस में जोड़ा जाए तो षडयंत्र की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जायेगी। बैंगलोर प्रस्थान से पहले श्री रमेश चन्द्र, अधीक्षक ने गेम सेट किट (जिसमें एक जोड़ी जूता, ट्रैक सूट, टी शर्ट, इत्यादि) नीचे एन० एफ०डी०एम०

[signature]

P.T.O

(२) स्वी० अनुभाग में भिजवाए कि (उ०)
(५) भाग ले रहे हैं, उनके हैं और ये श्रीमती स्वर्ण सिंह क०स०प्र०, के खिलाड़ी जो
श्री० देवी सिंह, व०ल०स० एवं श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, व०ल०प्र० को
जाना है। हम तीनों एवं श्रीमती सीमा सेमवाल व०ल०प्र० और कु० श्री
निवेन्द्र नेगी एक ही गाड़ी में सड़क मार्ग से दिल्ली गए और वहां
प्लेटफार्म पर रमेश चन्द्र अधीक्षक के सम्मुख ही श्री योगेश
कुमार, क० ल० को सुपुर्द कर दिया। बैंगलौर होटल पहुंच कर जब
किट बांटे गए तो एक सेट किट कम पड़ गए जो पूर्वी आंचलिक
कार्यालय कोलकाता के एक खिलाड़ी फुटबाल को देना था। वह
प्रतिभागी मार्च पास्ट में भाग नहीं ले सका और शायद अपने खेल
में बिना किट के ही भाग लिया। वहां श्री रमेश चन्द्र, अधीक्षक
ने आश्चर्यजनक रूप से मुझ पर आरोप लगाए कि मैं घर
से ही किट नहीं ले कर आया और खोया हुआ किट मेरे
द्वारा ही लाया जाना था। इन्होंने यह बात वहां उपस्थित श्री
प्रकाश लखचौरा, उपनिदेशक एवं अन्य अधिकारियों को बताया
कि मैं घर से ही किट लेकर नहीं आया। परन्तु मेरे सहकर्मी
श्री देवी सिंह, व०ल०स० ने बताया कि इन्होंने प्रस्थान के समय
किट उठाकर गाड़ी में रखा तब जाकर लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास
हुआ कि मैंने किट नहीं खोया था। श्री रमेश चन्द्र अधीक्षक
ने पहले दिन ही अपना फूड कूपन खो दिया था, वो फूड कूपन
मेरे द्वारा ही वितरित किया गया था। वहां से लौटते वक्त राजधानी
से जिस डिब्बे में हम लौट रहे थे, वो खाना परोसने वाले लड़के
ने हमारी तरह के ही जूते पहन रखे थे, यह चीज श्री देवी
सिंह, व०ल०स० ने ही मेरे संज्ञान में लाई। फिर हम दोनों ने ही
उस लड़के से पूछताछ शुरू की और फिर उसने सारी बात
कबूल कर ली कि दिनांक 19.12.2015 को कोच A5 से उसे
एक सेट किट प्राप्त हुआ था, ये वही कोच है जिसमें श्री रमेश
चन्द्र, अधीक्षक सपत्नी सफर कर बैंगलोर पहुंचे थे। दिल्ली
पहुंचते ही मैंने श्री कंवलजीत सिंह, उपनिदेशक एवं टीम मैनेजर को
फोन से सूचना दी कि खोया हुए किट के जूते रेलवे के कैटरिंग
वाले लड़के से मिल गया है और बाकी सामान उस लड़के ने
आपस में बांट लिया है। मैं रेलवे पुलिस में FIR दर्ज करवाऊं

[illegible signature]

(5) के दौरान मुझे यह भी कहा कि इसका[40] अंतिम निर्णय श्री सुशान्त शर्मा, वरिष्ठ उपनिदेशक (P&A) द्वारा ही किया जाएगा। श्री सुशांत शर्मा (P&A) द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर लिखित माफीनामा माँगने का प्रलोभन रखना और कहना कि इसके बाद श्रीमती सुशीला त्रिपाठी परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा। मुझ पर लगाए गए आरोप का पत्र मुझे न उपलब्ध कराना, न ही मुझे दिखाना और न ही मुझे पढ़वाया जाना और मेरे द्वारा लिखित माफीनामा की शर्त रखना, मेरे खिलाफ षडयंत्र और साजिश के सन्देह को ही पुष्ट करता है। यह कहना कि यह पेशी नहीं है और फिर एक फाइल का तैयार हो जाना, बिना लिखित पूर्व सूचना के पूछ-ताछ के लिए बुलाना और आरोप की लिखित प्रति मुझे उपलब्ध न कराना, ये पूछ-ताछ सन्देहास्पद हैं कि मेरे खिलाफ आरोप जो पढ़कर सुनाया गया है वह कभी भी बदला जा सकता है। यह पूरी कारवाई फाइल में मेरे बेदाग और निष्कलंक 24 साल की सेवा का क्रूर एवं निर्मम कत्ल के प्रयास जैसा ही है।

श्रीमती नीलम सुनील गोस्वामी, अध्यक्ष, आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2016 द्वारा मुझे समिति के समक्ष उपस्थित होने की सूचना पत्र द्वारा देना (पत्र की छाया प्रति संलग्न) और मेरे द्वारा आरोप की प्रति मुझे उपलब्ध कराने का लिखित आग्रह पर, मुझे लिखित में यह सूचित करना कि समिति ने निर्णय लिया है कि समिति के समक्ष ही आपको श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक की शिकायत से अवगत कराया जाएगा। (पत्र की छाया प्रति संलग्न)। इस सम्बंध में मेरे लिखित आग्रह पत्र दिनांक 13/04/2016 द्वारा उस नियम की एक प्रति मुझे उपलब्ध कराई जाए, जिस वजह से शिकायत की प्रति मुझे उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, पर श्रीमती नीलम सुनील गोस्वामी द्वारा कोई उत्तर न देना भी मेरे खिलाफ षडयंत्र और साजिश के सन्देह उत्पन्न करता है। दिनांक 18 अप्रैल, 2016 अपराह्न, समिति के समक्ष में प्रस्तुत हुआ, इसमें लिखित में दिए गए

[illegible]

तो उन्होंने कहा कि जाने दो। वह लड़का मिट के बदले पैसे देने के लिए तैयार था, परन्तु वह अल्पवेतनभोगी और संविदा-कर्मचारी होने के वजह से हमने उसे छोड़ दिया। मुख्यालय आने पर मैंने अपने मोबाइल से खींचे उस जूते का फोटो श्री प्रकाश भरद्वाज, उपनिदेशक साहब को भी दिखलाया कि मुझ पर लगाए गए आरोप गलत है। यहाँ तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि साक्ष्य मिल गए और चोरी का कलंक धुल गया वर्ना मुझे शक है कि अभी यह भी एक केस मुझ पर चल रहा होता। मुझपर मिथ्या आरोप लगाने का इनाम श्री रमेश चन्द्र, अधीक्षक को बैंगलोर में अधिकारियों वाला होटल उपलब्ध कराया गया, जिनके वे हकदार नहीं थे।

यहाँ मुख्यालय, देहरादून पहुँचते ही टीम मैनेजर का चार्ज स्वतः ही मुझसे हट गया था क्योंकि मुख्यालय में श्री कंवलजीत सिंह साहब मौजूद थे। इसके बावजूद श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) का जान बूझकर मेरे पास आकर अपने टी-शर्ट और स्मृति चिन्ह के लिए बात करना, एक सोची समझी चाल थी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि खेल-कूद प्रतियोगिता के दौरान श्रीमती सुशीला त्रिपाठी (संविदा) की रहने की व्यवस्था अधिकारियों वाले उच्च मानक होटल में था और उनके आने जाने के लिए वाहन व्यवस्था भी हमसे बेहतर था। हम नियमित कर्मचारी एक कमरे में तीन लोग ठहरे हुए थे और बस में आते-जाते थे।

यहाँ मुख्यालय में जिस दिन श्री रंजीत सिंह मलिक, संयुक्त निदेशक के कक्ष में मौखिक आदेशानुसार बुलाया गया था, पूछताछ के लिए तो मैंने पूछा कि क्या ये मेरा आपके समक्ष पेशी (Enquiry) है? तो कक्ष में मौजूद श्री सतीश कुमार, वरिष्ठ उपनिदेशक एवं श्री रंजीत सिंह मलिक, संयुक्त निदेशक ने कहा कि ये पेशी (Enquiry) नहीं है, बातचीत से श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) के लिखित शिकायत पत्र को सुलझाने का प्रयास है। श्री रंजीत सिंह मलिक, संयुक्त निदेशक (TFI) से बातचीत

[signature]

P.T.O.

आश्वासन के बावजूद मुझे श्रीमती सुशीला (प) त्रिपाठी, पा/योजना वैज्ञानिक (संविदा) की शिकायत से अवगत नहीं कराया गया और न ही इसकी लिखित शिकायत की प्रति मुझे उपलब्ध कराई गई। इससे मेरा सन्देह अब यकीन में बदल रहा है कि मुझे सुनियोजित तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही है। आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति स्वतन्त्र न होकर प्रशासन के दबाव में कार्य कर रही है या प्रशासन का इस समिति में दखलअंदाजी है। यह मामला दिसम्बर 2015 का है और इसका खुलासा अप्रैल 2016 में हो रहा है, यह भी अपने - आप में अनेक सन्देहास्पद प्रश्नों को जन्म दे रहा है।

जिस दिन से आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति, द्वारा मुझे पत्र हस्तगत हुआ है, मेरे चरित्र पर एक प्रश्न-चिन्ह लग गया है और मेरे सम्पूर्ण जीवन में दरार आ गई है। मुझे एक अजीब गरीब मानसिक संत्रास में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अतः आप से अनुरोध है कि आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति का निर्णय मुझे शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। मुझे आप जैसे न्यायप्रिय अधिकारी पर पूरा भरोसा है कि इस मामले में मुझे न्याय मिलेगा और इस मानसिक उत्पीड़न से मुक्ति।

संलग्नक

1- दिनांक 19.04.2016 का प्रतिवेदन, डॉ. प्रोबीर
2. दिनांक 13.04.2016 का पत्र
3. दिनांक 12.04.2016 का नीलम जी का पत्र
4. दिनांक 12.04.2016 का पत्र
5. दिनांक 7.4.2016 का नीलम जी का पत्र

भवदीय

[signature] 16

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

सेवा में,

श्रीमती मीना सुनील गोस्वामी
अध्यक्षा
आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ मार्ग
देहरादून

महोदया,

मैंने अपने पत्र दिनांक 12/04/2016 के माध्यम से अपने विरुद्ध सुश्री सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) द्वारा शिकायत के पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने की मांग की थी। परन्तु आपके पत्र संख्या 7-17/2013-प्रशासन 287 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 द्वारा मुझे यह सूचित किया गया है कि समिति के समक्ष ही मुझे श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) की शिकायत से अवगत कराया जाएगा। आपसे यह अनुरोध है कि कृपया मुझे यह जानकारी ~~अवश्य~~ उपलब्ध कराने की कृपा करें कि समिति ने किस नियम के अन्तर्गत, शिकायत पत्र की प्रति उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है, एवं उस नियम की एक प्रति मुझे प्रदान करने की कृपा करें। यह जानकारी मुझे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.04.2016 से पहले उपलब्ध कराये, तो अति कृपा होगी।

अति सम्मान के साथ।

दिनांक - 13/04/2016

भवदीय
[signature]
(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
व० वै०अ०

13.4.16

(46)

(40)

संख्या 7-17/2013-प्रशासन 287

भारत सरकार

भारतीय वन सर्वेक्षण

पो.ओ.-आई.पी.ई., कौलागढ़

देहरादून-240195

दिनांक 12 अप्रैल, 2016

आपके दिनांक 12.04.2016 के पत्र के संदर्भ में आपको सूचित करना है कि समिति के पत्र सं. 7.17/2013-प्रशा 256, दिनांक 07 अप्रैल, 2016 के अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आपको दिनांक 12.04.2016 को समिति के समक्ष उपस्थित होना था। किन्तु 12.04.2016 को आपका अभ्यावेदन समिति को प्राप्त हुआ। जिस पर निर्णय लिया गया कि समिति के समक्ष ही आपको श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक की शिकायत से अवगत कराया जाएगा।

समिति निष्पक्ष जाँच के लिए बाध्य है और निरवाद रुप से आपका पक्ष जानना आवश्यक है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.04.2016 को 03.30 बजे, आपका समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है।

नीता

(नीता सुनील गोस्वामी)

अध्यक्ष

आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह

वरिष्ठ तकनीकी सहायक

भारतीय वन सर्वेक्षण

देहरादून

(47)

(57)

सेवा में,

श्रीमती सुशीला गोस्वामी
अध्यक्ष
आन्तरिक कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ मार्ग
देहरादून

महोदया,

आपके पत्रांक संख्या 7-17/2013-प्रशासन 256 दिनांक 07 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में आप से अनुरोध है कि मेरे विरुद्ध सुश्री सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) द्वारा शिकायत का पत्र की एक प्रति मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मैं शिकायत की विषय-वस्तु से अवगत हो सकूं। इस पत्र की प्राप्ति से मुझे आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने में सहायक होगी। आप से यह भी अनुरोध है कि मुझे समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए दिनांक 14 अप्रैल 2016 का समय नियत जाए।

अति सम्मान एवं सहयोग के भावना के साथ।

दिनांक - 12/04/2016.

भवदीय
[illegible signature]
(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
वन सर्वेक्षक

[illegible signature]
12.4.16

(48)

(48)

संख्या 7-17/2013-प्रशासन 256
भारत सरकार,
भारतीय वन सर्वेक्षण,
पो0ओ0-आई0पी0ई0, कौलागढ़ रोड,
देहरादून - 248 195

दिनांक 07 अप्रैल ,2016

इस कार्यालय में कार्यरत सुश्री सुशीला त्रिपाठी परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) के द्वारा आपके विरूद्ध की गयी शिकायत के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये है कि प्रकरण की जाँच **आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति** द्वारा की जाये । अतः समिति नें यह फैसला किया है कि, उक्त मामले में आप से पूछ–ताछ की जानी है । अतः आपको दिनांक 12 अप्रैल 2016 को अपराहन 3.30 बजे भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कार्यालय देहरादून के समिति कक्ष में उक्त समिति के समक्ष उपस्थित रहना अनिवार्य है ।

अतः आपसे से अनुरोध है कि आप ससमय उक्त समिति के समक्ष उपस्थित रहे ताकि समिति आपके पक्ष की पूर्ण जानकारी ले सके ।

धन्यवाद ।

नीता

(नीता सुनील गोस्वमी)
अध्यक्ष
आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून ।

ACR of Sh. S.K Singh STA for the period from April 2015 to March 2016 after due entries by reporting & reviewing officer is placed in file for the n.a

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह एक बेहद ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं इनके द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि शुरू से ही श्री एस0 के0 सिंह को टारगेट कर उन्हें प्रथम दृष्टया उनके चरित्र हनन की आधारहीन बातों पर कोशिश की जा रही है। जहां तक टी–शर्ट और स्मृति चिन्ह की बात है यह सभी प्रतिभागियों को बैंगलौर से स्वयं ही प्राप्त करना था किसी और के लिए लाने की जिम्मेदारी श्री एस0 के0 सिंह पर नहीं थी। श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) के द्वारा श्री एस0 के0 सिंह से टी–शर्ट और स्मृति चिन्ह मांगना अपने आप में गैर जिम्मेदाराना आग्रह था जो उचित प्रतीत नहीं होता।

भवदीय इस संदर्भ में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना चाहेंगे।

(Mukesh Tripathi, JD)

DG, FSI

Link with original file & put up.

DG 24/05/16.

(50) (9)

संख्या 7-17/2013-प्रशासन 1099
भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पो.ओ.-आई.पी.ई., कौलागढ़
देहरादून-240195

भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून
Forest Survey of India Dehra Dun
सं० संख्या / D. No. 917
दिनांक / Date 01-06-16

दिनांकः 31 मई, 2016

सेवा में,

वरिष्ठ उप निदेशक (का.एवं प्रशा.)
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ रोड़
देहरादून

विषयः- श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) के मामले पर 'आंतरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति' द्वारा गवाहों से की गई वार्ता की रिपोर्ट के संबंध में।

महोदय,

महानिदेशक महोदय के निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में, समिति द्वारा गवाहों से विस्तृत रुप से वार्ता की गई जिसका पांच पृष्ठों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीया

नीता

(नीता सुनील गोस्वामी)
वरिष्ठ तकनीकी सहायक/अध्यक्षा

31/5

अधी/(प्र०) 31/5

श्री आनन्द

(51)

'आंतरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति' की रिपोर्ट

पत्र सं. 7-17/2013, दिनांक 25 अप्रैल, 2016 के अनुक्रम में, महानिदेशक महोदय के निदेशानुसार, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा) द्वारा की गई शिकायत के संदर्भ में घटना के समय, घटना स्थल पर उपस्थित गवाहों (श्रीमती सविता सेमवाल, व.त.स., श्रीमती प्रीति तोपवाल, क.त.स. एवं श्री चंद्र मोहन बिष्ट, टी.ए). के साथ दिनाक 13, मई, 2016 को समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें विस्तृत रुप से घटना की जानकारी ली गई। प्रकरण की जाँच करने एवं गवाहों से की गई वार्ता के आधार पर भी यह प्रतीत होता है कि गवाहों के बयान परस्पर समान थे तथा किसी के बयान में किसी भी प्रकार का विरोधाभास या पक्षपात का आभास नहीं हुआ। उक्त बयानों के आधार पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे को अपमानित नहीं करना चाहता था। यह आकस्मात् घटित घटना है। गवाहों से की गई वार्ता का विस्तृत विवरण संलग्न है।

अतः समिति का यह मानना है कि यह मामला महिला उत्पीड़न से संबंधित नहीं है।

श्रीमती नीता गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं अध्यक्षा

श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक एवं सदस्य

श्री रमेश चंद, अधीक्षक एवं सदस्य

कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवाद एवं सदस्य

श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक एवं सदस्य

(52) (57)

दिनांक 23.05.2016 को 03.00 बजे आयोजित **'आंतरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति' की** बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

श्रीमती नीता गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	:	अध्यक्ष	नीता
श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	:	सदस्य	अनुपस्थित
श्री रमेश चंद, अधीक्षक	:	सदस्य	
कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	:	सदस्य	गीता
श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	:	सदस्य	
श्रीमती सविता सेमवाल, व.त.स.			
श्री चंद्रमोहन बिष्ट, टी.ए.			
श्रीमती प्रीति गोपवाल, क.त.स.			

(53) (53)

13.05.2016 को आयोजित समिति की बैठक में श्रीमती सविता सेमवाल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक से ा गई जिसका विवरण निम्नलिखत है:-

अध्यक्ष महोदया	:	दिनांक 01.01.2016 को 10.30 और 11.00 बीच जब यह घटना हुई तो क्या आप वहां मौजूद थी?
श्रीमती सविता सेमवाल	:	मेरी सीट उसी केबिन में है और मैं उस वक्त वहीं मौजूद थी।
अध्यक्ष महोदया	:	दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुआ?
श्रीमती सविता सेमवाल	:	घटना काफी पुरानी है इसलिए शब्दशः तो मुझे याद नहीं है लेकिन श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ने श्री एस.के. सिंह से खेल-कूद प्रतियोगिता के दौरान प्रदान की गई टी-शर्ट और स्मृति-चिह्न के विषय में बात की थी।
अध्यक्ष महोदया	:	क्या श्री एस.के.सिंह ने श्रीमती सुशीला त्रिपाठी से कोई अभद्रता अथवा किसी अशिष्ट शब्द का प्रयोग किया था?
श्रीमती सविता सेमवाल	:	श्री एस.के. सिहं ने किसी भी प्रकार की अभद्र या अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन ऊँची आवाज में बात की थी।
अध्यक्ष महोदया	:	श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ने समिति को बताया है कि वे वहां आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए गई थी, क्या ये सही है?
श्रीमती सविता सेमवाल	:	स्पष्ट रुप से मुझे कुछ याद नहीं है, शायद वो शुभकामनाएं देने आई हो, किन्तु वे श्री एस.के. सिंह से खेल कूद प्रतियोगिता के दौरान प्रदान की गई टी-शर्ट और स्मृति लेने आई थी।
अध्यक्ष महोदया	:	श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ने समिति को बताया है कि घटना के समय आपके अलाव वहां कोई और व्यक्ति भी मौजूद थी, क्या आप उन्हें पहचानती हैं?
श्रीमती सविता सेमवाल	:	लगभग वो सभी व्यक्ति वहां मौजूद थे जिनकी सीट वहां हैं।
अध्यक्ष महोदया	:	इस सारे घटना क्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
श्रीमती सविता सेमवाल	:	ये मामला यौन उत्पीड़न से संबंधित नहीं है।

Savita Semwal

श्रीमती सविता सेमवाल
वरिष्ठ तकनीकी सहायक

समिति के सदस्य

श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	अध्यक्ष	नीता
श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	सदस्य	अनुपस्थित
श्री रमेश चंद, अधीक्षक	सदस्य	
कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	सदस्य	गीता
श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	सदस्य	

(84) (5)

.05.2016 को आयोजित समिति की बैठक में श्री चंद्र मोहन बिष्ट, टी.ए. से वार्ता की गई जिसका नेम्नलिखत हैः-

अध्यक्ष महोदया	:	दिनांक 01.01.2016 को 10.30 और 11.00 बीच जब यह घटना हुई तो क्या आप वहां मौजूद थे?
श्री चंद्र मोहन बिष्ट	:	जी हाँ, मेरी सीट वहीं है और उस वक्त मैं अपनी सीट पर ही मौजूद था।
अध्यक्ष महोदया	:	दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुआ?
श्री चंद्र मोहन बिष्ट	:	जी हाँ, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी वहां आई थी। उन्होंने श्री एस.के. सिंह से कहा था कि क्या आप हमारी टी-शर्ट और स्मृति चिह्न लाएं हैं? और श्री एस.के सिंह ने कहा था कि आपकी टी-शर्ट और स्मृति चिह्न लाना मेरी ड्यूटी है क्या?
अध्यक्ष महोदया	:	क्या श्री एस.के.सिंह ने श्रीमती सुशीला त्रिपाठी से कोई अभद्रता की अथवा किसी अशिष्ट शब्द का प्रयोग किया था?
श्री चंद्र मोहन बिष्ट	:	जी नहीं, किसी भी प्रकार की अभद्र या अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया था
अध्यक्ष महोदया	:	इस सारे घटना क्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
श्री चंद्र मोहन बिष्ट	:	यह एक वरिष्ठ एवं कनिष्ठ के बीच में सामान्य रुप से की गई वार्तालाप ही प्रतीत होता है।

Chandra
श्री चंद्र मोहन बिष्ट, टी.ए.

समिति के सदस्य

श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	अध्यक्ष	नीता
श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	सदस्य	अनुपस्थित
श्री रमेश चंद, अधीक्षक	सदस्य	
कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	सदस्य	गीता
श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	सदस्य	

(58) (55)

23.05.2016 को आयोजित समिति की बैठक में श्रीमती प्रीति तोपवाल, कनिष्ठ तकनीकी सहायक से की गई जिसका विवरण निम्नलिखत हैः-

अध्यक्ष महोदया	:	क्या आप दिनांक 01.01.2016 को श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के साथ एन.एफ.डी.एम.सी लैब में श्री एस.के. सिंह से मिलने गई थी?
श्रीमती प्रीति तोपवाल	:	जी हाँ, मैं दिनांक 01.01.2016 को श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के साथ एन.एफ.डी.एम.सी लैब में गई थी
अध्यक्ष महोदया	:	क्या घटना के समय आप वहां मौजूद थी?
श्रीमती प्रीति तोपवाल	:	जी नहीं, मैं दिनांक 01.01.2016 को श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के साथ एन.एफ.डी.एम.सी लैब में गई थी लेकिन मैं बाहर की लैब में ही किसी काम से रुक गई थी।

समिति के सदस्य

श्रीमती नीता सुनील गोस्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक — अध्यक्ष
श्रीमती रविन्द्र कौर, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक — सदस्य अनुपस्थित
श्री रमेश चंद, अधीक्षक — सदस्य
कु. गीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक — सदस्य
श्री अमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक — सदस्य

श्रीमती प्रीति तोपवाल
कनिष्ठ तकनीकी सहायक

क्रमांक 7-1/2013 –प्रशासन 1333
भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पो0ओ0- आई0पी0ई0, कैलागढ़ रोड़,
देहरादून – 248195

दिनांक 17 जून 2016

श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, परियोजना वैज्ञानिक (संविदा), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा दिनांक 05.01.2016 को श्री शैलेन्द्र सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के विरूद्धं अशिष्टता, अभद्र एवं ऊंची आवाज में बात कर अपमान होने की शिकायत की गई । इस संबंध में महानिदेशक के निर्देशानुसार पहले संयुक्त निदेशक (टी.एफ.आई) द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया तत्पश्चात वरिष्ठ उप निदेशक (का.एवं प्र.) द्वारा भी दोनो पक्षों से अलग-अलग इस संबंध में वार्ता की गई। संयुक्त निदेशक (टी.एफ.आई) तथा वरिष्ठ उप निदेशक (का.एवं प्र.) से दोनों पक्षों द्वारा की गई वार्ता में विरोधाभास होने के कारण संयुक्त निदेशक (टी.एफ.आई) द्वारा प्रकरण को समिति को संदर्भित करने की अनुसंशा की गई ।

महानिदेशक के अनुमोदन से इस प्रकरण की जांच हेतू मामला आंतरिक कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति को संदर्भित किया गया । समिति द्वारा इस मामले में अलग-अलग तिथियों पर जांच की गई तथा घटना के समय उपस्थित कुछ कर्मचारयों के बयान भी लिये गये । उपरोक्तानुसार जांच के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट मे यह निष्कर्ष दिया है कि दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे को अपमानित नही करना चाहता था और यह एक आकस्मात् घटित घटना है। समिति ने यह भी पाया है कि यह मामला महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित नही है ।

यघपि प्रकरण की जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि श्री शैलेन्द्र सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ ऊंची आवाज मे बात करते है। यह तथ्य श्री शैलेन्द्र सिंह ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 19.4.2016 में स्वयं स्वीकार किया है। अतः श्री शैलेन्द्र सिंह को सचेत किया जाता है कि भविष्य में वे महिला कर्मचारियों से वार्तालाप मे विन्रम भाषा प्रयोग में लायें ।

यह महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

17/6

(सुशांत शर्मा)
वरिष्ठ उप निदेशक (का. एवं प्र.)

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह,
वरिष्ठ तकनीकी सहायक,
भारतीय वन सर्वेक्षण,
देहरादून ।

17.06.2016